MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 7th August, 2008

S.R.O. 70.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Works of Defence Act, 1903 (7 of 1903), the Central Government hereby declares that it is necessary to impose restrictions specified in clause (c) of Section 7 of the said Act upon the use and enjoyment of the land described in the Schedule given below, being land lying in the vicinity of work of defence, namely, Number 2003 Station, Mohammadpur measuring 178.153 acres near Mohammadpur Ahir Village in Tauru Tehsil in District Mewat, Haryana, in order that the said land may be kept free from buildings and other obstructions on and under ground upto five hundred yards.

2. A sketch plan of the said land may be inspected in the office of the District Collector, Mewat, Haryana.

SCHEDULE

All the land comprised in the area lying within the distance of five hundred yards from the boundary wall of the Works of Defence, namely, Number 2003 Station, Mohammadpur measuring 178.153 acres near Mohammadpur Ahir Village in Tauru Tehsil in District Mewat, Haryana.

[F. No. SFC/S 4113/1/Adm(Wks)/Pt. Case-1]

V. B. SAXENA, Under Secy.

नई दिल्ली, 4 अगस्त, 2008

का.नि.आ. 71.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सैनिक इंजीनियर सेवा (बैरक/भंडारी समूह 'ग' अनौद्योगिक पद) भर्ती नियम, 1989 को, जहां तक उनका संबंध पर्यवेक्षक/भंडार श्रेणी-2, भंडारी श्रेणी-1 और भंडारी श्रेणी-2 के पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने से लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय, सैनिक इंजीनियर सेवा में पर्यवेक्षक बैरक/भंडार श्रेणी-2, भंडारी श्रेणी-1 और भंडारी श्रेणी-2 के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सैनिक इंजीनियर सेवा पर्यवेक्षक बैरक/भंडार श्रेणी 'ग' (अनौद्योगिक पद) भर्ती नियम, 2008 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **लागू होना.**—ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची 1 के स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे ।

3. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान.**—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं आदि.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. पर्यवेक्षक बैरक/भंडार श्रेणी-2	339*(वर्ष 2008 के लिए) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित अनौद्योगिक अननुसचिवीय	5000-150-8000 रु.	अचयन	नहीं	18 से 27 वर्ष **टिप्पण 1** : (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) **टिप्पण 2** : केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा अधिसूचित अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों और कतिपय अन्य प्रवर्गों के लिए शिथिल की जा सकती है । यह शिथिलीकरण इन प्रवर्गों के लिए आयु-सीमा में किसी अन्य अनुज्ञेय शिथिलता के साथ संचयी रूप से उपलब्ध है । **टिप्पण 3** : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैण्ड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।) **टिप्पण 4** : उन पदों की बाबत, जिन पर नियुक्ति रोजगार कार्यालयों/"रोजगार समाचार" में विज्ञापनों/अन्य विज्ञापन मीडिया के माध्यम से की जाती है, प्रत्येक दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख, वह अंतिम तारीख होगी, जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है या "रोजगार समाचार पत्र"/अन्य विज्ञापन मीडिया में दी गई आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख होगी ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(8)	(9)	(10)
किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कला या विज्ञान में डिग्री के साथ, अधिमानतः सामग्री प्रबंधन में डिप्लोमा या किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से सिविल या यांत्रिकी या वैद्युत इंजीनियरी में तीन वर्षीय डिप्लोमा ।	नहीं	केवल सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(11)	(12)
(i) 45 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा । (ii) 50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा (iii) 5 प्रतिशत ऐसे विभागीय भंडारी श्रेणी-2, मीटर रीडर एचएस 2 और मीटर रीडरों में से प्रोन्नति द्वारा, जिन्होंने पांच वर्ष नियमित सेवा की है और जिनके पास स्तंभ 8 में यथा विनिर्दिष्ट अर्हता है, जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	**प्रोन्नति :** ऐसा भंडारी श्रेणी I जिसने उस श्रेणी में 4000-6000 रु. के वेतनमान में सेवा की हो । **टिप्पण 1 :** पात्रता सेवा उन व्यक्तियों के लिए, जिन्होंने पुनरीक्षित नियमों की अधिसूचना की तारीख को नियमित आधार पर भंडारी श्रेणी I का पद धारण किया हुआ है, उसी समान बनी रहेगी । **टिप्पण 2 :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा : परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(13)	(14)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे :— 1. मुख्य इंजीनियर —अध्यक्ष 2. अधीक्षण इंजीनियर/अन्य समतुल्य पंक्ति —सदस्य 3. अवर सचिव, रक्षा मंत्रालय —सदस्य	लागू नहीं होता ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. भंडारी श्रेणी-I	336*(वर्ष 2008 के लिए) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित अनौद्योगिक अननुसचिवीय	4000-100-6000 रु.	अचयन	नहीं	लागू नहीं होता

(12)
गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

(13)	(14)
प्रोन्नति और पुष्टि पर विचार करने के लिए समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति, जिसमें निम्नलिखित होंगे :— 1. अधीक्षण इंजीनियर —अध्यक्ष 2. कार्यपालक इंजीनियर या समतुलय पंक्ति का अन्य अधिकारी —सदस्य 3. अवर सचिव, रक्षा मंत्रालय —सदस्य	लागू नहीं होता ।

[सं. बी/76011/बीएस/आरआर/सीएससीसी/494/डी (नि)/2008]

सी. जे. जोस, अवर सचिव

New Delhi, the 4th August, 2008

S.R.O. 71.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Military Engineer Services (Barracks/ Store Group 'C' Non-Industrial posts) Recruitment Rules, 1989 in so far as they relate to the posts of Supervisor Barracks/Stores Grade-II, Store Keeper Grade-I and Store Keeper Grade-II, except in respect of things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Supervisor Barrack/Stores Grade II, Store Keeper Grade I and Store Keeper Grade II, in the Military Engineer Services, Ministry of Defence, namely :—

1. Short title and Commencement.— (1) These rules may be called the Military Engineer Services Supervisor Barrack/Stores Grade 'C', Non Industrial posts) Recruitment Rules, 2008.

(2) They shall come into force on the date of publication in the official Gazette.

2. Application .—These rules shall apply to the posts specified in column 1 of the Schedule I annexed to these rules.

3. Number of posts, classifications and scales of pay.—The number of the said posts, their classifications and the scales of pay attached thereto shall be as specified in Columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

4. Method of Recruitment, age limit and other qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit and other matters relating to the said posts shall be as specified in Column (5) to (14) of the aforesaid Schedule.

5. Disqualification :—No person,

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of these rules.

6. Power to relax .—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	Number of post	Classification	Scale of pay	Whether selection or Non-selection post.	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of Central Civil Services (Pension) Rules, 1972	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1. Supervisor Barrack/ Stores Grade II	339* (2008) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'C' Non-Gazetted, Non-Industrial Non-Ministerial	Rs. 5000-150-8000	Non-Selection	No	18–27 years. **Note 1 :** Relaxable for Government servants up to 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. **Note 2 :** Relaxable for SCs/ STs/OBCs and certain other categories as notified by the Central Government from time to time. This relaxation is available cumulatively with any other admissible relaxation in age limit for these categories. **Note 3 :** The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of J&K State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nichobar Islands or Lakshadweep). **Note 4 :** In respect of the posts, appointment to which are made through Employment Exchanges/ Advertisements in "Employment News"/other advertising media, the crucial date for determining the age limit will, in each case, be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to